**E-ISSN:** 2583-9667
**Indexed Journal**
**Peer Reviewed Journal**
https://multiresearchjournal.theviews.in

**Received: 06-07-2023**
**Accepted: 17-08-2023**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY**

**Volume 1; Issue 1; 2023; Page No. 585-588**

# उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गाँधी तथा परिषदीय बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य तथा बुद्धिलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन

**[1]शिप्रा अग्रवाल, [2]डॉ. प्रवीन त्रिपाठी**

[1]शोधार्थिनी, ग्लोकल स्कूल ऑफ एजुकेशन, द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, मिर्जापुर पोल, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
[2]एसोसिएट प्रोफेसर, ग्लोकल स्कूल ऑफ एजुकेशन, द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, मिर्जापुर पोल, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

**Corresponding Author:** शिप्रा अग्रवाल

**सारांश**

''शिक्षा मात्र अक्षर ज्ञान के लिए नहीं है बल्कि यह सशक्तिकरण का वह साधन है जो हमें समाज में बेहतर जीवन जीने के योग्य बनाती है।'' वे बालिकाएं जिन्हें परिस्थितियों ने शिक्षा से वंचित कर दिया था, किसी को गरीबी के कारण, किसी को छोटे भाई–बहन की देखभाल के कारण, किसी को घरेलू जिम्मेदारी, तो कोई बालिका शिक्षा की उपेक्षा के कारण, न सिर्फ शिक्षा से वंचित रह गई। उन्हें इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि वे कभी भी जीवन में शिक्षा पाने का अवसर पाएगी। ऐसी बालिकाओं की शिक्षा की सम्पूर्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना का प्रारम्भ किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में लागू की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का संचालन शुरूआती दौर में चुनौतीपूर्ण था। जो माता–पिता अपनी बालिका को अपने ही गांव की पाठशाला में नहीं भेज रहे थे वे उसे आवासीय विद्यालय में ब्लाक मुख्यालय पर कैसे भेजेंगे यह एक बड़ा प्रश्न था। फिर उन्हें चिन्हित करना, उन तक पहुंचना और उनके माता–पिता को राजी करना भी आसान न था। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मानक के अनुसार बालिकाओं को चिन्हित करने का काम शुरू किया गया। प्रस्तुत अध्ययन में बालिकाओं की शिक्षा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का शैक्षिक उपलब्धि व जीवनशैली के संदर्भ में प्रभावों का आंकलन करना शोधार्थी का उद्देश्य है, अतएव कम समय में प्रदत्त/आंकड़ें प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण विधि ही सर्वथा उपयुक्त है। इसीलिए शोधार्थी ने प्रस्तुत अध्ययन में इस विधि का चयन किया है।

**मूलशब्दः** कस्तूरबा, शिक्षा, सर्व शिक्षा, अर्थव्यवस्था, बुद्धिलब्धि, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक

## प्रस्तावना

मानव जीवन के इतिहास में आदिकाल से शिक्षा का विकास एवं प्रसार होता रहा है। प्रत्येक देश अपनी सामाजिक संस्कृति और समीक्षा को पूर्णरूपेण पनपने के लिये साथ ही समय की चुनौतियों का सामना करने के लिये अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करता है। लेकिन देश के इतिहास में कभी कभी ऐसा समय आता है। जब पुराने समय से चले आ रहे उस सिलसिले को एक नयी दिशा देने की बहुत आवश्यकता हो जाती है आज हमारे देश में वही समय तथा स्थिति आ गयी हैं।

आजादी के लम्बे संघर्ष के बाद देश स्वतन्त्र हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही हमारे नेताओं ने हमारे राष्ट्र के लक्ष्यों की रूप रेखा तैयार कर ली थी। जिसको साकार रूप भारतीय सविधान के रूप में देश आजाद होने के बाद मिला। हमारे संविधान में आगे बढने की दिशा का स्पष्ट संकेत है। हमारे सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक एवं तकनिकी प्रगति के लक्ष्यों का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व संम्पन लोकतन्त्रात्मक, धर्म निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिको को न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक) स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म एवं उपासना की) समानता (प्रतिष्ठता एवं अवसर की) तथा मातृत्व (व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता को सुनिश्चित करने वाला) प्रदान किये जाने का उल्लेख है। यही हमारे राष्ट्र का लक्ष्य है। यही हमारे राष्ट्र के मूल उदेश्य है।

इन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा को एक सशक्त माध्यम माना जाता है। और यह सही भी है। क्योकि प्रत्येक राष्ट्र ने अद्वितीय, सामाजिक राजनैतिक, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिये अपनी अलग राष्ट्रीय प्रणाली का विकास किया है। भारत में इस दिशा में प्रथम प्रयास 1948 से प्रारम्भ हुये थें। जबकि डा0 राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा के बाद हमारा ध्यान माध्यमिक शिक्षा की ओर गया और सन् 1992 में श्री मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग गठित हुआ, इन आयोगों की रिपोर्ट आयी, क्रियान्वित भी हुई किन्तु शिक्षा के समग्र रूप पर विचार डा0 कोठरी की अध्यक्षता वाली शिक्षा आयोग (1964–66) ने किया, जिसके आधार पर जुलाई 1968 में सर्वप्रथम स्वतन्त्र

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गयी। इस शिक्षा नीति का निर्माण के समय यह प्रावधान रखा गया था कि इस नीति के क्रियान्वित की प्रगति की पंचवर्षीय समीक्षा की जायेगी, तद्नुसार इसके बाद की प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय इसकी समीक्षा के बाद ही आगे के पांच वर्षो की शिक्षा कार्यक्रमतय किया गया। किन्तु फिर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के क्रियान्वन के अनुसार प्रगति नही हो पायी। यहाँ तक की सम्पूर्ण राष्ट्र ने 10 + 2 + 3 की शैक्षिक संरचना को स्वीकार नही किया, हाँ अधिकतर राज्यों द्वारा यह संरचना स्वीकार कर ली गयी। 1979 में पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार की गयी, गाँधी जी की 1937 की बुनियादी शिक्षा संरचना के अनुरूप छः से आठ वर्ष की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की बात जोरों से की गई किन्तु यह नीति पारित होकर सामने नही आई। आज हमारा देश आर्थिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास के उस स्तर पर पहुँच गया है जहाँ से हम अब तक के संचित साधनों का प्रयोग करते हुये समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुँचाने का प्रयास कर सकते है। शिक्षा उस लक्ष्य तक पहुचने का प्रबल तथा महत्वपूर्ण साधन है।

शिक्षा में समता के सिद्धान्त को लागू करने के लिये भारत सरकार ने 2004 में देश के उन विकास खण्डों में जहाँ साक्षरता क दर औसत राष्ट्रीय दर से नीचे थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं जो किसी कारणवश प्राथमिक शिक्षा के बाद विद्यालय छोड़ चुकी थी की शिक्षा जारी रखने के लिये कस्तूरबा गाँधी शिक्षा विद्यालय के नाम से बालिका विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। इन विद्यालयों में उपर्युक्त बालिकाओं के लिये 75 प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया था, शेष 25 प्रतिशत स्थान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उच्च वर्ग के परिवारों की बालिकाओं के लिये निश्चित किया गया इन विद्यालयों का 75 प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार तथा 25 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार उठाती हैं, इन विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के खाने रहने और पढ़ने की मुफ्त व्यवस्था है। इसी व्यवस्था के अन्तर्गत मेरठ मण्डल में अनेकों कस्तूरबा गाँधी विद्यालय चल रहे हैं।

भारत में सरकारी स्तर पर शिशु शिक्षा की व्यवस्था की व्यवस्था की सिफाारिश सर्वप्रथम बुड एवं ऐबट रिपोर्ट (1937) में की गई। उसी समय 1939 में भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के नियन्त्रण पर डॉ0 मान्टेसरी भारत पधारीं। उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ के लागों को अपनी शिशु शिक्षा प्रणाली के विषय में जानकारी दी और उसके बाद यहाँ कुछ मान्टेसरी स्कूलों की स्थापना की। साथ ही उन्होंने यहाँ मान्टेसरी प्रणाली में प्रशिक्षित करने के लिए कुछ शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी की। 1940 तक उन्होंने यहाँ मद्रास, मैसूर, बम्बई, संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) और पंजाब आदि प्रदेशों में कई स्थानों पर मान्टेसरी संघें की स्थापना की और उनके द्वारा अपने शिशु शिक्षा आन्दोलन को गति दी। 1944 में देश में सर्वप्रथम शैक्षिक योजना बनी जिसे सार्जेन्ट योजना कहा जाता हैं। इस योजना में स्पष्ट शब्दों में घोषणा की गई कि–नर्सरी स्कूल व कक्षाओं के रूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था शिक्षा की किसी भी राष्ट्रीय प्रणाली का अनिवार्य अंग हैं। साथ ही उसमें सिफाारिश की गई कि 3–6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिशु विद्यालयो की स्थापना की जाए गाँवों व कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस शिक्षा की व्यवस्था प्राथमिक स्कूलों में की जाए और नगरों में अलग से। यह शिक्षा निःशुल्क हो और इन शिक्षा संस्थानों के लिए शिक्षक तैयार करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किए जाएँ। इस योजना में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु उस समय 3 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष व्यय करने का प्रावधान भी किया गया था। परन्तु उस समय की अंग्रेजी सरकार भारत में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं कर पा रही थी, वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था क्या करती। सच बात यह है कि 1947 से पहले भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो भी प्रचार एवं प्रसार हुआ वह मुख्य रूप से ईसाई मिशनरियों द्वारा ही हुआ।

जहाँ तक इस काल में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन का प्रश्न है, वह तो हुआ ही नहीं है। इस बीच इस क्षेत्र में किए गए अध्ययनों के परिणाम बताते हैं कि समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत जो आँगनबाड़ी केन्द्र चलाए जा रहे हैं उनमें से 100 प्रतिशत केन्द्र संसाधान विहीन हैं, उनके लिए न अच्छे भवन हैं और न उनमें आवश्यक उपकरण है। उनमें न बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है और न उनके उचित पोषण पर ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य की देखभाल के नाम पर उन्हें भेड़–बकरियों की भाँति घेरा जा रहा है और उचित पोषण के नाम पर गेहुँ का दलिया खिलाया जा रहा है और वह भी बहुत घटिया किस्म का। कागजी खानापूरी अधिक है, वास्तव में काम न के बराबर हैं। कुल मिलाकर ये केन्द्र अर्थहीन सिद्ध हो रहे है। और निजी संस्थाओं द्वारा जो नर्सरी, माण्टेसरी एवं किण्डरगार्टन स्कूल चलाए जा रहे हैं उनके सम्बन्ध में पहला तथ्य तो यह है कि इनका उद्देश्य पैसा कमाना है, दूसरा तथ्य यह है कि इनमें 70 प्रतिशत शिक्षिकाएँ अप्रशिक्षित हैं। तीसरा तथ्य यह है कि ऐसे 70 प्रतिशत स्कूलों में आवश्यक सामग्री नहीं है, चौथा तथ्य यह है कि इन सब अभावों के बावजूद ये अति व्यय साध्य हैं, केवल अंग्रेजी माध्यम के नाम पर पैसा बटोर रहे हैं और अन्तिम एवं पाँचवां तत्य यह है कि इनमें की शिक्षा पर अधिक बल है, शिशुओं के स्वास्थ्य और उचित पोषण पर न के बराबर।

## साहित्य पुरावलोकन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इस बात पर बल दिया गया कि बिना किसी लैंगिक भेदभाव के 6–14 वर्ष के सभी बालकों तथा बालिकाओं को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाए। अतएव बालिका शिक्षा का विकास प्रक्रिया में भागीदार होने तथा उससे लाभ उठाने योग्य बनाने हेतु प्रयास आवश्यक है। दशोरा एवं शर्मा इस संदर्भ में उचित ही लिखते हैं कि जब स्त्रियाँ शिक्षित होती हैं, तो उनकी निर्भरता स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। कम–से–कम इससे उनका सर्वांगीण विकास निर्दिष्ट होता है, जो कि राष्ट्र की समृद्धि में सहायक होता हैं। ''स्त्री के शिक्षित होने से पूरे समाज की तरक्की होती हैं'' (उत्तराखंड की राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अल्वा)। 'महिला योग शिविर' को संबोधित करते हुए इसी संदर्भ में स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि एक पुरूष को शिक्षा देने से एक आदमी शिक्षित होता है, लेकिन एक स्त्री को शिक्षा देने से पूरा परिवार शिक्षित होता है, जिससे पूरे समाज की तरक्की होती हैं–

शिक्षा पर सामान्य रूपा से उपलब्ध अधिकांश साहित्य और आँकड़े विशेष रूप से उच्च शिक्षा में महिलाओं का यह अनुपात प्रदर्शित करते हैं। कि बालिकाएँ शिक्षा से वंचित रहती हैं। पारंपरिक रूप से ही भारतीय समाज में बालिकाओं के लिए औपचारिक शिक्षा को भी अधिक महत्वप नहीं दिया गया। इस संदर्भ में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा कराए गए एक अध्ययन में यह तथ्य सामने आया कि 77.6 प्रतिशत अभिभावक अपनी लड़कियों के लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा के पक्ष में नहीं थें (एन.सी.ई. आर.टी. – 1981:83)। इस संदर्भ में गोरे ने भी स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाएँ, शहरी क्षेत्रों के अनुपात में अधिक स्कूल छोड़ती हैं। ''बालिका शिक्षा के पिछड़ने का प्रमुख कारण माताओं में निम्न साक्षरता अथवा शिक्षा तक पहुँच का न हो पाया जाता हैं। (एन.सी.ई.आर.टी. 1982:223)। इसके अतिरिक्त

शिक्षिकाओं का अभाव, असमृद्ध पाठ्यक्रम तथा बालिकाओं के कार्य, आवश्यकताओं व विद्यालय के समय में तालमेल का अभाव भी बालिकाओं की शिक्षा में कमी का कारण हैं। (एन.सी.ई.आर.टी. 1981:81) बालिका शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक कारण है, अभिभावकों का व्यवसाय जो कि बालिकाओं के दाखिले को प्रभावित करता हैं।

समाज/समुदाय एवं परिवार आदि काल से चली रही संस्थाएँ हैं, जिनके द्वारा बालक–बालिका के व्यवहार और अभिवृत्तियों का निर्माण किया जाता है। पारिवारिक जीवन बालिका के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है तथा इस कार्य की जिम्मेदारी माता–पिता पर होती है। राणे तथा रटराजन (1982) ने अपने अध्ययन में पाया कि माता–पिता, बालक के व्यक्तित्व को दिशा प्रदान करते हैं। परिवार समाज की मूलभूत इकाई है, जिसमें रहकर बालक–बालिका सामाजिक अन्तःक्रिया, व्यवहार प्रतिभागिता तथा व्यक्तित्व की संरचना का ज्ञान प्राप्त करते हैं।

शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की समस्या विशेषकर शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए ग्रामीण समुदायों में चुनौतीपूर्ण है। इसी चुनौतीपूर्ण कार्य को सफल बनाने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 6–14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए 2010 तक उपयोगी एवं सार्थक प्रारंभिक शिक्षा कक्षा–1 से कक्षा'8 तक की व्यवस्था करना तथा समुदाय की सक्रिय सहभागिता के लिए उत्तर प्रदेश में बेसिक अधिनियम 1972 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत संशोधित अधिनियम असाधारण गजट 5/5/2000 द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक समिति गठित है, जो ग्राम शिक्षा समिति कहलाती है, जिसका उद्देश्य सामाजिक, क्षेत्रीय एवं बालक–बालिका भेद को समाप्त करके सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध करानाा है। इस अभियान की सफलता का ही प्रमाण है कि आज इस योजना के अंतर्गत समस्त भारत के सभी राज्य, जिलें, प्रखंड एवं गाँव शिक्षा से लाभांवित हो रहे हैं।

यूनेस्कों की रिपोर्ट 2007 में भारत विश्व शिक्षा विकास सूचकांक में 2006 की तुलना में पाँच पायदान नीचे लुढ़क गया। सन् 2007 में 129 देशों की सूची में भारत को 105 वाँ स्थान प्राप्त हुआ जबकि सन् 2006 में भारत 100 वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट के अनुसार में 27 करोड़ लोग निरक्षर है जिसमें ज्यादा महिलाएँ हैं। न्यूपा की रिपोर्ट 2005–06 के तहत देश के कुल 604 जिलों में सर्वेक्षण कराया गया। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह उजागार किया कि देश में एक भी राज्य ऐसा नही है जहाँ सभी स्कूलों में पक्के भवन हों। शिक्षा के इस संकट को देखते हुए सन् 2008–09 में योजना आयोग ने सर्वशिक्षा अभियान को महत्व देते हुए स्कूली शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए 25,700 करोड़ रूपये का बजट स्वीकार किया। वैसे तो गत वर्षो में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में सुधार एवं सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करोड़ों रूपये का बजट स्वीकार किया जाता रहा है परन्तु इन विद्यालयों की स्थिति में सापेक्षित विकास नही हो रहा है और न ही हम सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जो 2007 तक निर्धारित किया गया था। शोधार्थी शिक्षा शास्त्र की विद्यार्थी हैं। उसे मन में बार बार कुछ प्रश्न उभर रहे हैं, जो इस प्रकार हैं–

- क्या कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का व्यक्तित्व गुण परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्रों के समान ही हैं?
- क्या कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों के पढ़ने वाली छात्राओं की बुद्धि लब्धि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के समान ही हैं?
- क्या विभिन्न विषयों में दोनों प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि एक जैसी होती हैं?
- क्या दोनों प्रकार से विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं का मानसिक स्वास्थ्य एक जैसा है।

इन्ही में से कुछ प्रष्नों का षोध पर आधारित उत्तर जानने के लिये षोधार्थी षोध अध्ययन का प्रस्ताव करता है। जिसका षीर्शक निम्नलिखित हैं–

## शोध अध्ययन के उद्देश्य

- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं का वर्गीकरण उनके मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर उत्तम, औसत तथा निम्न मानसिक स्वास्थ्य समूहों में करना।
- परिषदीय बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं का वर्गीकरण उत्तम, औसत तथा निम्न मानसिक स्वास्थ्य समूहों में करना।
- कस्तूरबा गाँधी तथा परिषदीय बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य की तुलना करना।
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं का वर्गीकरण उनके व्यक्तित्व गुण के आधार पर उच्च, औसत और निम्न समूहों में करना।
- परिषदीय, विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं का वर्गीकरण उनके व्यक्तित्व गुण की मात्रा के आधार पर उच्च, औसत और निम्न समूहों के रूप में करना।
- कस्तूरबा गाँधी तथा परिषदीय बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं के व्यक्तित्व गुणों की तुलना करना।
- कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं का वर्गीकरण उनकी बुद्धि के आधार पर तीन वर्गों उच्च, औसत एवं निम्न समूहों में करना।
- परिषदीय बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं को वर्गीकरण उनकी बुद्धि के आधार पर तीन वर्गों उच्च, आसत एवं निम्न वर्गों में करना।
- कस्तूरबा गाँधी एवं परिषदीय बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं की बुद्धि लब्धि की तुलना करना।

## शोध परिकल्पना

शोध अध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित शोध परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण किया जायेगा।

- कस्तूरबा गाँधी तथा परिषदीय बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य मं कोई सार्थक अन्तर नहीं होता।
- कस्तूरबा गाँधी तथा परिषदीय बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं के व्यक्तित्व गुणों में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता।
- कस्तूरबा गाँधी तथा परिषदीय बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं की बुद्धि लब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता।

## शोध विधि

प्रस्तावित शोध अध्ययन में शोध की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जायेगा।

## शोध जनसंख्या

मेरठ शैक्षिक मण्डल में स्थित समस्त कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों तथा परिषदीय बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत् समस्त छात्रायें प्रस्तावित शोध अध्ययन की जनसंख्या निर्मित करेगी।

**शोध न्यादर्श**

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत् 200 छात्राओं तथा परिषदीय बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत् 200 छात्राओं को कुल 400 छात्राओं को न्यादर्श के रूप में चुना जायेगा।

**न्यादर्श चयन की विधि**

न्यादर्श की समस्त इकाईयों का चयन सरल यादृश्चिक विधि द्वारा किया जायेगा।

**शोध उपकरण**

शोध के विभिन्न चरों के मापन हेतु उपयुक्त शोध उपकरणों का चयन विशेषज्ञों की राय से किया जायेगा।

1. **मानसिक स्वास्थ्यः** छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य के मापन के लिए अरूण कुमार सिंह तथा अल्पना सेन गुप्ता द्वारा निर्मित मानसिक स्वास्थ्य बैट्री अथवा किसी अन्य उपर्युक्त परीक्षण का प्रयाग किया जायेगा।
2. **व्यक्तित्व गुणः** छात्राओं क व्यक्तित्व गुण मापन के लिए किशोर व्यक्तित्व तालिक जिसका निर्माण एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा किया गया है का प्रयोग अथवा किसी अन्य उपर्युक्त मापनी का प्रयोग किया जायेगा।
3. **बुद्धि लब्धिः** छात्राओं की बुद्धि–लब्धि मापन के लिए डॉ0 एस0 एस0 जलोटा द्वारा निर्मित सामान्य योग्यता परीक्षण का प्रयोग किया जायेगा।

**शोध अध्ययन में प्रयुक्त साँख्यिकी**

शोध आँकड़ों के विश्लेषण हेतु टी परीक्षण के अतिरिक्त लेख चित्रों का भी प्रयोग किया जायेगा।

**शोध परिसीमन**

प्रस्तुत शोध अध्ययन परिसीमन निम्नलिखित हैं–

- प्रस्तुत शोध अध्ययन कक्ष छः से आठ तक पढ़ने वाली बालिकाओं तक परिसीमित होगा।
- प्रस्तुत शोध अध्ययन कस्तूरबा गाँधी तथा परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं तक सीमित होगा।
- प्रस्तुत शोध अध्ययन मेरठ तथा सहारनपुर शैक्षिक मण्डलों तक सीमित होगा।

**संदर्भ**


1. यूनुस एव. एम. एम. तथा सिंह कर्ण कर्ण (2007) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, गोविंद प्रकाशन, लखीमपुर खीरी, पृ. 32
2. यादव मोना (2009) – कसतूरबा गांधी बालिका विद्यालय – बालिका शिक्षा के लिए सार्थक पहल, प्राथमिक शिक्षक, एन, सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली। पृ. 10
3. दैनिक जागरण (2009) – कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के उच्चीकरण करने का प्रस्ताव, दैनिक समाचार पत्र, जागरण प्रकाशन, लखनऊ, 2 नवंबर , पृ. 9
4. चौधरी, सुजीत कुमार 2005, रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड फॉरमेशन ऑफ सोशल स्टेटस, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, नवंबर, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली
5. दशोरा, राकेश एंड अनुश्री शर्मा 2003, रोल ऑफ ट्राइबल वीमन इन एजुकेशन, योजना वपब्लिकेशन डिवीजन, जून
6. एन.सी.ई.आर.टी., 1996 बालिका शिक्षा एवं महिला सशक्तीकरण दशा एवं दिशा हरियाणा, गुडगाँव
7. योजना मासिक पत्रिका, सितंबर 2005, नयी दिल्ली
8. गेरे.एम.एस. 1970, फील्ड स्टडीज इन द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ऑल इंडिया रिपोर्ट, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली
9. शिव दत्त त्रिवेदी सामुदायिक शिक्षा एवं सहभागिता के संबंध में विकासात्मक क्रियाकलाप राज्य शिक्षा संस्थन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
10. महिला समाख्या, वार्षिक रिपोर्ट 2005–2006, उत्तर प्रदेश
11. स्त्री–पुरूष समानता, अक्टूबर 2006, योजना मासिक पत्रिका भवन, संसद माग, नयी दिल्ली
12. भारत सरकार 2000 , सबके लिए शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली।
13. शिक्षा की प्रगति 2001–04 शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
14. बेसिक शिक्षा के महत्वपूर्ण आँकड़े 1998, बेसिक शिक्षा निदेशाल, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
15. अग्रवाल, जे०सी० 1987. 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 के क्रियान्वयन के संदर्भ में भारतीय शिक्षा की समस्याएँ'. अजय प्रिन्टर्स, नवीन शाहदरा, दिल्ली।
16. अदावल, सुबोध एवं माधवेन्द्र उनियाल 1974. 'भारतीय शिक्षा की समस्याएँ एवं प्रवृत्तियाँ', उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ।
17. कपिल, एच, के. 2001 'अनुसंधान विधियाँ! भार्गव बुक हाउस, आगरा
18. कोहली, विजय कुमार 1975, 'भारतीय शिक्षा की आधुनिक समस्याएँ', कृष्णा ब्रादर्स चॉक अड्डा टांडा, जालन्धर।
19. कौल, लोकेश, 1984. 'शिक्षा अनुसंधान की कार्यप्रणाली', विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा०लि०, नई दिल्ली।
20. साहू. जी.एन 1998. ए स्टडी ऑफ कद हिस्ट्री एण्ड डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव स्कूल्स, डी.ए.वी.वी., इन्दौर, म. प्र.।


**Creative Commons (CC) License**

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.